83 82

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०००रु. Rs5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

8

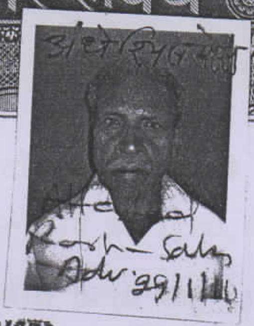

अंधेरियस खोस्स

Attested
Rash Sahu
Adv 29/1/10

[illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1908 की धारा ...46 I fifa C... के अधीन
[illegible] भारतीय स्टाम्प अधिनियम
[illegible] 1899 की अनुसूची
[illegible] 23 I A with the Permission by S.D.O. Simdega vide case no. 204/2009-10 order dated 25.11.09
[illegible] स्टाम्प शुल्क से विमुक्त
[illegible] शुल्क उल्लेखित नहीं।)

[signature] 29.1.10

[signature] 29.1.10

§1§ लेख्यकारी :- श्री अंधेरियस खोस्स पिता स्व0 बारलुस खोस्स जाति उरांव पेशा खेती बारी निवास गांव खिजरी नामटोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा --------- विक्रेता ।

शपथ-पत्र संख्या ----52--------/ 2010

§2§ लेख्यधारिणी :- श्रीमती सरोज किड़ो पति श्री अजीत कुमार कुल्लू जाति खड़िया पेशा गृहिणी निवास गांव सिमडेगा डुमर टोली थाना सिमडेगा जिला सिमडेगा - भारतीय नागरिक —क्रेतिका ।

शपथ-पत्र संख्या -----53---------/ 2010

§3§ लेख्य प्रकार :- विक्रय पत्र केवाला बैला कलामी पुत्र-पुत्रादिक हमेशा के लिए ।

[illegible] 29-1-10

पहचान - सुनील खेस्स
पिता - स्व. कोलाइस खेस्स
ग्राम - खिजरी नामटोली
थाना + जिला - सिमडेगा
दि. 29-01-2010

7

1000Rs.

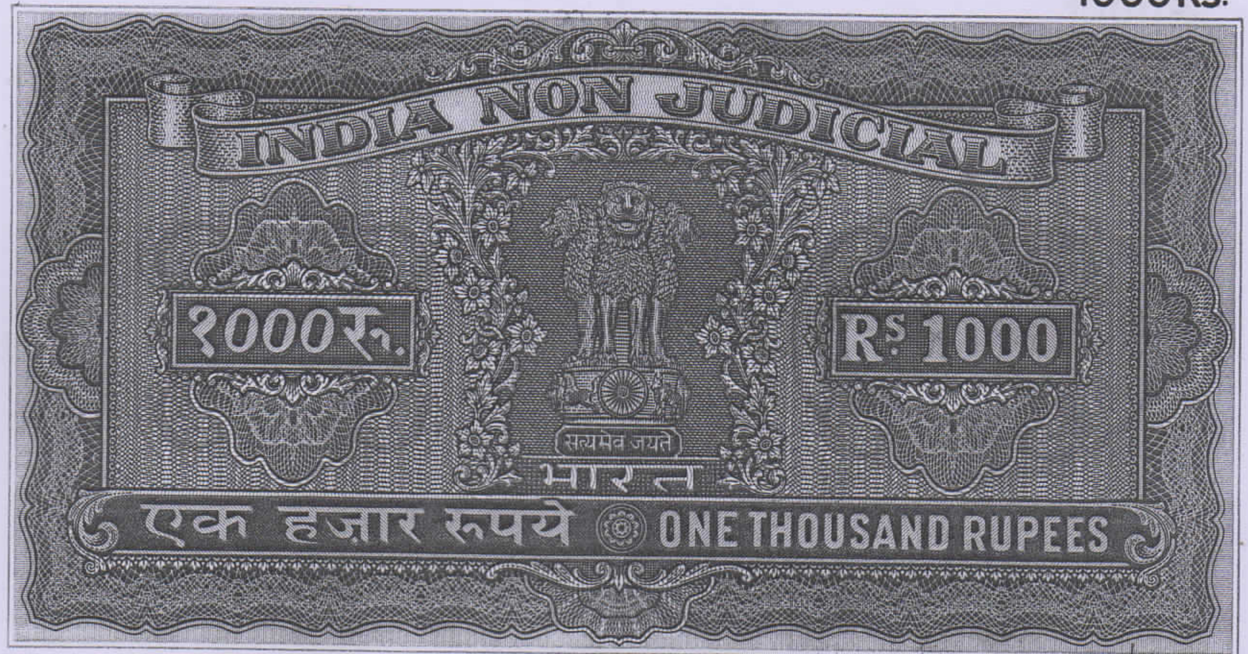

§4§ मूल्य :- मोवलिग दो लाख रूपये अंके 2,00,000/- रूपये जिसका आधा मो0 1,00,000/- रूपये अंके 1,00,000/- रूपये होता है ।

§5§ सम्पति :- एराजियात 0.10 एकड़ § दस डिसमिल § जमीन हकियत रैयती मय दखाली खातियानी वाके मौजा खिजरी सामटोली थाना नं0 105 थाना सिमडेगा सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला सिमडेगा के अन्दर खाता नं0 113 § एक सौ तेरह § प्लाट नं0 2397 § तेइस सौ सन्तानब्बे§ रकबा 0.10 एकड़ § दस डिसमिल § जमीन टांड़ जिसकी चौहद्दी :-
उत्तर :- मुख्य पथ § पक्की सड़क §
दक्षिण :- टांड़ मेरी मिंज,
पूरब :- टांड़ अमैरियस खोस्स,
पश्चिम :- टांड़ इसी प्लाट का अंश ।

कुल एक खाता का एक प्लाट का टुकड़ा रकबा 0.10 एकड़ सिर्फ जिसका मालगुजारी सालाने 05 पैसा अलावे शेष । वर्णित विक्रीत जमीन आवासीय है जिस पर मकान अथवा किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं है।

§1§ चूँकि इस समय मुझे मकान बनाने के वास्ते रूपये की अति आवश्यकता है,पर मैंने वर्णित जमीन का कुल मूल्य मो0 2,00,000/- रूपये नगद भुगतान पाकर उपर्युक्त लेख्यधारिणी के पास रैयती बेचा और अपनी इच्छा से शरीर वो मन की स्वस्थ्यता में रह कर यह विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज लिखा दिया कि प्रमाण रहे ।

§2§ मैं, प्रतिज्ञा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन मेरी पुस्तैनी खातियानी है जो मेरे दादा सुकरू उरांव के नाम से खातियान में नाप दर्ज

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु.   Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

-: 3 :-

है ।उनके मृत्योपरान्त मेरे पिता तथा पिता के मरने के बाद वर्णित जमीन हमें उत्तराधिकार में हासिल हुआ और आपसी जबानी भैयादी बँटवारे में प्राप्त मेरे हिस्से की है जिस पर मेरा निर्विवाद दखल वो कब्जा है । जमीन पर किसी प्रकार का झगड़ा झंझट या भार नहीं है । अब से उस पर सारा हक वो दखल कब्जा लेख्यधारिणीको हस्तान्तरित कर दिया अब से उस पर मेरा किसी प्रकार का दखल कब्जा वो हक अधिकार नहीं रहा न रहेगा और न भविष्य में मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का ।

§3§ चूँकि हम दोनों पक्ष आदिवासी समुदाय के रैयत हैं अतः जमीन बिक्री हेतु आवश्यक परमीशन का आवेदन सी0एन0टी0एक्ट अन्दर दफा 46 का मुकदमा वाद संख्या 204/2009-10 श्रीमान् अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के न्यायालय में किया जिसको स्वीकृत्यादेश दिनांक 25-11-09 ई0 को हुई और मेमो नं0 957§11§ रेव0 दिनांक 25-11-09 के अनुसार मुझे तथा जिला सब रजिस्ट्रार को प्रतिलिपि भेजी गई ।

§4§ चाहिए कि लेख्यधारिणी वर्णित जमीन पर काबिज वो दखलकार होकर वो रह कर मकान सहन आदि बनावें वो जैसा मन चाहें अपने उपयोग में लावें वजरिये झारखण्ड सरकार के जमींदारी सिरिस्ते अंचल कार्यालय सिमडेगा से तारीख लेख्य से दाखिल खारीज करा कर मालगुजारी की रसीद खास नाम से हासिल करें ।

1000 Rs.

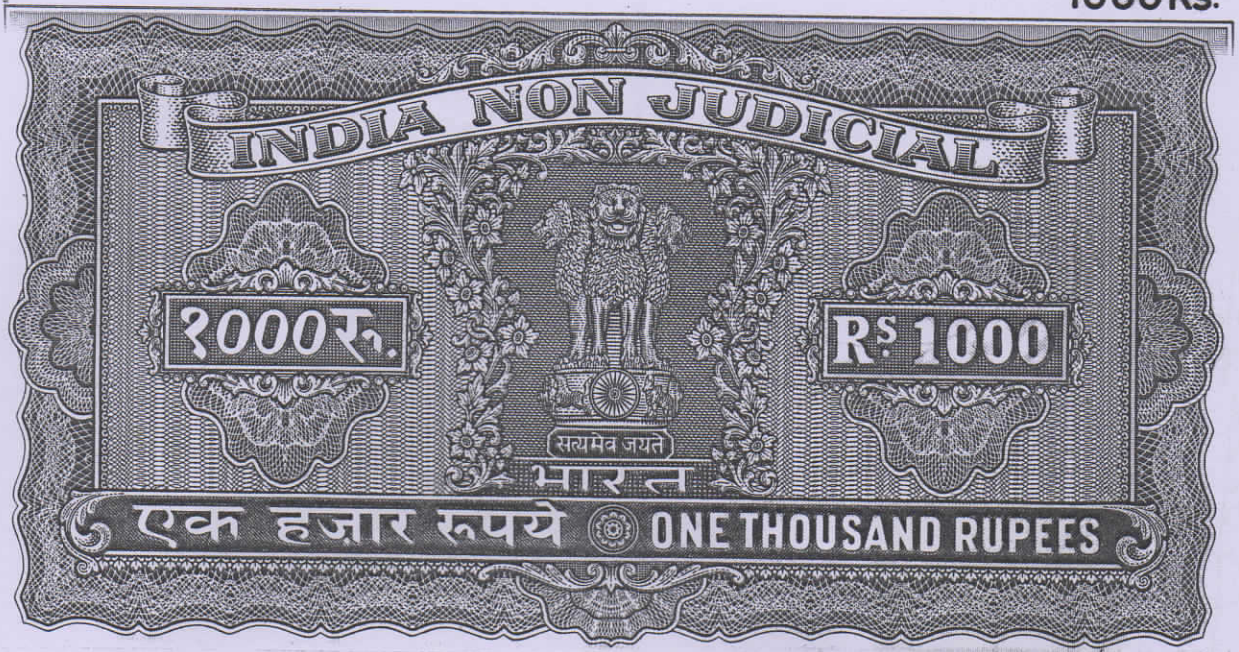

लेख्यकारी के कहे अनुसार इस विक्रय-पत्र केवाला दस्तावेज का प्रारूप तैयारकर दोनों पक्षों को उनके गवाहों के सामने पढ़ कर सुना वो समझा दिया जिसे स्वीकार किये ।

प्रारूप कर्त्ता,
[illegible]
Adv.
तारीख - 29/1/10

मैं, लेख्यकारी यह घोषणा करता हूँ कि वर्णित विक्रीत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही - [illegible]
29-1-10

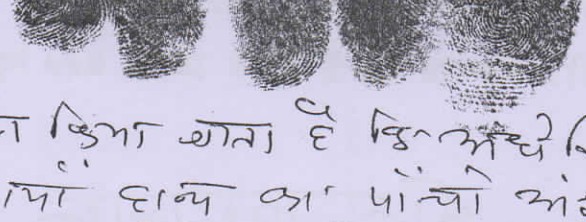

प्रमाणित किया जाता है कि [illegible] के बायें हाथ की पांचों अंगुलियों का छाप मेरे सामने लिया गया है।

[illegible]
अधिवक्ता
29/1/10

मैं, लेख्यधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व धारित वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग सीमा के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सही - सरोज किड़ो
29/1/10

प्रमाणित किया जाता है कि सरोज किड़ो की बाँयीं हाथ की पाँचों अंगुलियों की छाप मेरे सामने ली गई है ।

राजेश्वर साहु
अधिवक्ता
29/1/10

प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के कुल 5 पृष्ठों में कुल 448 शब्द टंकित है जो खण्डन रहित वो नक्शा सहित है ।

टंकक -

ह0/- नारायण दास
29/1/10

§ नारायण दास §
कचहरी परिसर, सिमडेगा ।